बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– मो०–18/2018 3076 /कृ0, पटना दिनांक 13/8/ 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\# अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **वर्ष 2018–19 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान धान, गेहूँ, मक्का दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु 1 एकड़ क्षेत्र में 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान्य के आलोक में प्रति 1 लीटर डीजल के क्रय पर 40 (चालीस) रू० को बढ़ाकर 50 (पचास) रू० करने हेतु अनुदान दर में बढ़ोतरी की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वर्ष 2018–19 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिंचाई के लिए डीजल अनुदान धान, गेहूँ, मक्का दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु 1 एकड़ क्षेत्र में 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान्य के आलोक में प्रति 1 लीटर डीजल के क्रय पर 40 (चालीस) रू० को बढ़ाकर 50 (पचास) रू० करने हेतु अनुदान दर में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी जाती है।

2\. वित्तीय वर्ष 2018–19 में डीजल अनुदान मद में 1 एकड़ क्षेत्र में 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान्य के आलोक में प्रति 1 लीटर डीजल के क्रय पर 35(पैंतीस) रू० को बढ़ाकर 40(चालीस) रू० करने हेतु अनुदान दर में बढ़ोतरी संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या 2619 दिनांक 06.07.2018 एवं शुद्धि पत्र 2643 दिनांक 10.07.2018 निर्गत है। उक्त स्वीकृत्यादेश से प्राप्त स्वीकृति अनुरूप डीजल अनुदान हेतु 6000.00 लाख (साठ करोड़) रू० की सीमा तक वर्द्धित डीजल अनुदान दर पर व्यय किया जा सकेगा। यह बढ़ोतरी सूखे की स्थिति को देखते हुए दिनांक 23.07.2018 से लागू माना जायेगा तथा इस अनुरूप डीजल अनुदान दर का भुगतान किया जायेगा।

3\. वर्ष 2018–19 में अनियमित मॉनसून/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप राज्य में खरीफ मौसम में धान एवं मक्का की खेती प्रभावित हुआ है। धान का बीचड़ा बचाने, बीचड़ा को मुख्य खेत में रोपने तथा रोपे गये खड़े फसल की सिंचाई करने, मक्का की सिंचाई करने, अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, जूट, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे के सिंचाई हेतु 1 एकड़ क्षेत्र में 1 सिंचाई के लिए

10 लीटर डीजल खपत अनुमान्य के आलोक में प्रति 1 लीटर डीजल के क्रय पर 40(चालीस) रूपये से बढ़ाकर 50(पचास) रूपये करने हेतु अनुदान दर में बढ़ोतरी की जाती है।

4. खरीफ फसलों के एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान के अनुसार 50 रू0 प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 500 रू0 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जायेगा। एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट हेतु 2 सिंचाई के लिए 1000 रू० प्रति एकड़ तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे हेतु एक ही खेत के 3 सिंचाई के लिए 1500 रू0 प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

5. रबी फसलों से भरपूर उपज के लिए सिंचाई पर डीजल अनुदान की आवश्यकता पड़ सकता है। रबी मौसम में किसानों को 1 लीटर डीजल के क्रय पर 50 रूपये की दर से प्रति एकड़ 500 रूपये डीजल अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। इस योजना के अधीन गेहूँ के लिए 3 सिंचाई तथा अन्य रबी फसलों के अन्तर्गत मक्का, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए 2 सिंचाई हेतु डीजल अनुदान अनुमान्य किया जाता है।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त डीजल अनुदान भुगतान एवं आकस्मिक फसल योजना संबंधित पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 2619 दिनांक 06.07.2018 एवं शुद्धि पत्र 2643 दिनांक 10.07.2018 में वर्णित शेष तथ्य पूर्ववत लागू रहेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 24.07.2018 को संचिका संख्या– मो०–18/2018 के पृ0सं0–50/टि० पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मो०–18/2018 के पृ0सं0–53/टि० पर दिनांक– 07.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra 10.8.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 13/8/ , 2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 10.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 13/8/, 2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindo 10.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 13/8/, 2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindo 10.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 13/8/, 2018

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindo 10.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 3076 /कृ0, पटना, दिनांक 13/8/, 2018

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक(उद्यान)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

Rdeindo 10.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।